न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मावली

बईजलास : रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 149/25 विविध

उनवान

1. श्रीमती कमलादेवी पत्नी छलिया बंजारा निवासी खेमपुर तहसील मावली।
2. श्री रामचन्द्र पिता नाना जाट निवासी खेमपुर तहसील मावली।
3. श्री वरदा पिता कालु जाट निवासी बाबरियों का खेडा तहसील मावली।
4. श्री शंकर पिता केला जाट सा. बाबरियों का खेडा तहसील मावली।

.................प्रतिवादीगण

बनाम

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, मावली तहसील, मावली।

.... विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम, 1956

:: निर्णय ::

दिनांक 22.08.2025

1. प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम खेमपुर, पटवार हल्का, खेमपुर तहसील मावली की आराजी नम्बर 2164/1909 रकबा 4.0954 हैक्टेयर भूमि के वे खातेदार हैं और आराजी नम्बर 1909 रकबा 0.5585 हैक्टेयर भूमि किस्म चरागाह होकर उक्त दोनों आराजियात को गलत दिशा में तरमीम कर दी गई है। अतः आराजी नम्बर 1909 की जगह आराजी नम्बर 2164/1909 एवं आराजी नम्बर 2164/1909 की जगह आराजी नम्बर 1909 नक्शे में दर्ज किया जावे। दोनों आराजियात के रकबे अनुसार उनको सही अंकित किया जावे।
2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार, मावली से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार, मावली ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया हैं कि आराजी संख्या 2164/1909 का जो कब्जा प्रारम्भ से रहा हैं वो आराजी संख्या 1909 रकबा 0.5585 हैक्टेयर पर था व आराजी नम्बर 2164/1909 कि जगह नक्शे में 1909 होना पाया गया है। अतः निवेदन हैं कि नक्शे में शुद्धि कर आराजी संख्या 2164/1909 व 1909 को रद्दोबदल करवाने की कृपा करावें।
3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार, मावली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं आराजी नम्बर 2164/1909 एवं 1909 के नक्शा ट्रेस का अवलोकन किया। आराजी नम्बर 2164/1909 का रकबा जमाबंदी अनुसार 4.0954 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 1909 का रकबा 0.5585 हैक्टेयर हैं किन्तु उपरोक्त आराजियात के नक्शे का अवलोकन करने पर आराजी नम्बर 1909 का रकबा 4.0954 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 2164/1909 का रकबा 0.5585 हैक्टेयर तरमीम किया हुआ हैं जो उपरोक्त आराजियात के रकबे से ठीक उल्ट प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त आराजियात के नक्शा ट्रेस के अवलोकन से प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

:: आदेश ::

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर ग्राम खेमपुर, पटवार हल्का, खेमपुर तहसील, मावली की जमाबंदी में दर्ज आराजी नम्बर 2164/1909 के बजाय 1909 एवं आराजी नम्बर 1909 के स्थान पर आराजी नम्बर 2164/1909 राजस्व नक्शे में परिवर्तन [illegible] प्रदान किये जाते है। पालना हेतु तहसीलदार, मावली को लिखा जावे। पत्रावली [illegible] होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 22.08.2025 को लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 18:13:52 IST
Reason: SelfAttested

(रमेश सीरवी पुनाडिया आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
मावली